

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगठन एवं सम्बन्धन कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के रूप में ही किया जाने लगे हैं। किन्तु अन्य प्राधिकाओं के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में यह सम्बन्धन प्राप्त हो तो यह सम्बन्धन एवं विवरण अपने-आपे मिलाने लिये जायेंगे।



द्वारा : पूर्वसचिव  
द्वारा : (0751) 2441976  
(0751) 2442929  
द्वारा : (0751) 2441950

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ.सम्बद्धता/2012/ 5899

दिनांक: 21/01/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध आर.एस.सी. कॉलेज, ग्वालियर (0751-2445920) को सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित-संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय:स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत विमानानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.के. हत्वे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442769)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. रेजू श्रीवास्तव, प्राध्यापक, बोस्टन महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर बुल्ड, घरोदर सभ, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत सत्या से प्राप्त अनुभव/अनुभवित प्रमाण-पत्र, श्रवण, प्रसिद्धा परिचय एवं पाठ्यक्रम/आर्किवज तथा पिछले सत्र में बी.एड. शर्तों को पूर्ण नय प्रमाण पत्र के तम प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जयें। जिससे कि संपूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थावी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नियम के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्द्धवर्ष तथा वरारकर ज्वीर समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शासन में कार्यालय अधीनस्थ / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

## प्रतिलिपि :-

1. संगठन सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर जाग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावें की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, गोंडाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)